# नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर, एच.ई.सी, धुर्वा, राँची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार)

**श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–27.11.2025 (गुरूवार) को समिति कार्यालय, रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 74वीं बैठक की कार्यवाही :–**

**01. उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

| क्रम सं. | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष उराँव, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र। | सभापति | उपस्थित |
| 2. | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, रांची द्वारा प्राधिकृत (उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)। | सदस्य | उपस्थित |
| 3. | श्री विजय नारायण, अवर सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनित सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची। | सदस्य | उपस्थित |
| 4. | डॉ० कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची। | सदस्य | उपस्थित |
| 5. | श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य सचिव | उपस्थित |
| 6 | डॉ आशीष आलोक, सामान्य निकाय, ने.वि.स.। | (विशेष आमंत्रित) | उपस्थित |
| 7 | श्री एच.के.पी. सिन्हा, भूतपूर्व शिक्षक नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट। | (विशेष आमंत्रित) | उपस्थित |

**02) कार्यसूची की मद संख्या– 01** : दिनांक–19.09.2025 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने0वि0स0 की 73वीं बैठक की कार्यवाही निर्णय की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

**03) कार्यसूची की मद संख्या– 02** : दिनांक–19.09.2025 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 73वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

**04) कार्यसूची की मद संख्या– 03** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बैठक में विद्यालय के 72वें स्थापना दिवस समारोह (15 नवम्बर, 2025) के अवसर पर लाईट, नाटक मंचन कार्यक्रम से संबंधित सामाग्रियों के क्रय, प्रदर्शनी तथा अन्य व्ययों की विवरणी प्रस्तुत की गई तद्नुसार संबंधित वार्षिक व्ययों की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

**05) कार्यसूची की मद संख्या– 04** : सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता सूची में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध किया गया गया था, जिसके



Santosh

Kamini Kumar

आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा कार्यालय आदेशांक–13 नें. (06)–11/2023/367, दिनांक–30.01.2024 के माध्यम से एक जाँच समिति भी गठित की गई थी। सभापति द्वारा बताया गया की वरीयता सूची में कुछेक ऐसी त्रुटियाँ जैसे की दूसरे पैनल से नियुक्त शिक्षकों को वरीयता में प्रथम स्थान देना, चयन मापदण्डों के मानकों में भिन्नता के बावजूद समेकित रूप से एक ही वरीयता सूची का निर्धारण किया जाना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्रुटियाँ विद्यमान है, जिसका निराकरण आवश्यक है। बैठक में उपस्थित उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा सभापति को आश्वस्त किया गया की वरीयता सूची में गम्भीर त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही है, जिसका निराकरण होना आवश्यक है। उप–निदेशक द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन को प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी। वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह भी सुझाव हुआ की जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एतद्–विषयक अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया की अगर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध होने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो पुनः इस निमित समिति स्तर से एक आंतरिक जाँच समिति का गठन करते हुए विधि सम्मत निर्णय ली जायेगी।

**06) कार्यसूची की मद संख्या– 05** : उप–प्राचार्य के प्रसंग में वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव हुआ कि समिति की नियुक्ति, सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2011 के नियम–10 के अनुसार वर्त्तमान में कार्यरत शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक इसकी अहर्त्ता पूरी नहीं करते है; अतएव तत्काल इस विषय को स्थगित रखी जाय। तद्नुसार सर्वसम्मति से एतदर्थ विषय को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**07) कार्यसूची की मद संख्या– 06** : समिति की नियुक्ति, सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2011 के नियम– 10 (e) के आलोक में वर्त्तमान कार्यालय कर्मी को निम्न–वर्गीय लिपिक से उच्च–वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति दिये जाने के प्रसंग में एक आंतरिक समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ की गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। समिति का गठन निम्न रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया :–

**(क)** डॉ० कामिनी कुमार – अध्यक्ष

**(ख)** डॉ० आशीष आलोक – सदस्य

**(ग)** प्राचार्य सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा प्राधिकृत एक शिक्षक प्रतिनिधि – सदस्य

**08) कार्यसूची की मद संख्या– 07** : समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों को संशोधित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) के तहत लाभ दिये जाने के प्रसंग में कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

**09) कार्यसूची की मद संख्या– 08** विद्यालय मे कार्यरत कर्मचारियों जिनकी असामयिक निधन उनके सेवाकाल में हुई है, उनके आश्रितों को समिति की सेवा शर्तों के अनुरूप नियोजित किये जाने के लिये निम्न रूप में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–

**(क)** डॉ० कामिनी कुमार – अध्यक्ष

**(ख)** डॉ० आशीष आलोक – सदस्य

**(ग)** प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा प्राधिकृत एक शिक्षक प्रतिनिधि – सदस्य

Kamini Kumar

समिति सभी आवश्यक बिन्दुओं की समीक्षा कर एक प्रतिवेदन प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को उपलब्ध करायेगी, जिसके उपरांत ही इस विषय पर प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सरकार के मानदंड के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

**10) कार्यसूची की मद संख्या– 09** : वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये नेतरहाट आवासीय विद्यालय / नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राप्त गैर–योजनान्तर्गत सहायता अनुदान (वेतन एवं गैर वेतन) मद की राशि को समिति नियमावली के नियम– 2.9 (क) के आलोक में किये गये आंतरिक मदवार विभाजन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

**11) कार्यसूची की मद संख्या– 10** : वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–25/BSG-01/25-26/716, बजट दिनांक–16.10.2025 के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष, 2026–27 के लिए प्रशासी विभाग को समर्पित बजटीय प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

**12) कार्यसूची की मद संख्या– 11** : समिति नियमावली– 323, दिनांक–23.10.2009 के नियम–38 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की सम्पुष्टि प्रदान की गई। तद्नुसार प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निर्देश प्राप्त हुआ कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति नियमानुसार सरकार को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

**13) कार्यसूची की मद संख्या– 12** : बाह्य विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से वर्चुअल कक्षा लिये जाने के प्रसंग में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बताया गया कि प्रकाशित सूचना के आलोक में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए है। समीक्षोपरांत प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निर्देशित किया गया कि आवेदकों के प्राप्त बायोडाटा के अनुसार विस्तृत आकलन करते हुए विषय विशेषज्ञों से आवश्यकतानुसार कक्षाएँ लेना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

**14) कार्यसूची की मद संख्या– 13** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बताया गया कि विद्यालय के पश्चमी भू–भाग पर विद्यालय की भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के प्रसंग में अनुमंडल दण्डाधिकारी, महुआडांड़ के न्यायालय में वाद संख्या– 01 / 2024 दर्ज की गयी थी, जिसके आलोक में दिनांक–12.08.2025 के माध्यम से अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायादेश विद्यालय के पक्ष में प्राप्त हुआ है, परन्तु अतिक्रमण को अबतक हटाया नहीं गया है, इसके साथ ही प्राचार्य द्वारा बताया गया कि प्रतिवादियों द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका दायर की गई है। प्राचार्य को निर्देश हुआ की प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका के विरूद्ध विद्यालय का पक्ष सभी अभिलेखों के साथ ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा यह भी बताया गया कि विद्यालय को–ऑपरेटिव भवन के समक्ष रिक्त भू–खण्ड को संरक्षित रखने के लिए घेराबंदी का कार्य किया जा रहा था, परन्तु अंचलाधिकारी, महुआडांड़ के कार्यालय पत्रांक–420, दिनांक–26.07.2025 के माध्यम से प्राचार्य कार्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उक्त भू–खण्ड पर बस स्टैंड निर्माण को लेकर घेराबंदी कार्य पर रोक लगाया गया। प्राचार्य द्वारा बताया गया की पुराने सर्वे के अनुरूप सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक प्रतिवेदन विद्यालय पत्रांक–2322, दिनांक–29.07.2025 के माध्यम से अंचलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ की चुंकि को–ऑपरेटिव भवन से छात्रों के कुछेक आश्रम एवं आवासीय परिसर निकट है; अतएव वहाँ पर बस स्टैंड निर्माण से अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती है, परन्तु बस स्टैंड निर्माण का कार्य भी सरकार के जनहित का विषय है; अतएव प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ की



Kamini Kumar

बस स्टैंड निर्माण के लिए अन्य बाह्य स्थानों जहाँ से विद्यालय एवं छात्रावास की लम्बी दूरी हो वहाँ पर बस स्टैंड निर्माण के लिए एक सुझाव पत्र सरकार को सम्प्रेषित किया जा सकता है।

**15) कार्यसूची की मद संख्या– 14** : झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के कार्यालय पत्रांक–JEPC/CIV/03/1956/2025/4779, दिनांक–17.11.2025 के माध्यम से प्रदत्त तकनीकी प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

**16) कार्यसूची की मद संख्या– 15** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बताया गया कि विद्यालय कार्यालय में कार्यरत कुछेक कर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर/टाईपिस्ट एवं अन्य तकनीकी कार्यों का निर्वाहन कुशलतापूर्वक कर रहे है। वर्त्तमान में इन कर्मियों से दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य लिया जा रहा है, जिसपर कर्मियों के कार्य कुशलता के आधार पर एक निर्धारित न्यूनतम मानदेय का निर्धारण किया जा सकता है। सम्यक विचारोपरांत इस सम्बंध में आगामी बैठक में विस्तृत परिचर्चा एवं निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया।

**17) कार्यसूची की मद संख्या– 16** : 10 वर्षों से कार्यरत वैसे तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी जिनकी नियुक्ति आरक्षण रोस्टर नियमावली के अनुरूप तथा सरकार द्वारा सृजित पद के विरूद्ध विधिवत विज्ञापन के तहत की गई है, के सेवा नियमितीकरण के संदर्भ में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेश हुआ कि इस संबंध में आंतरिक स्तर पर एक समिति गठित कर एक विस्तृत प्रतिवेदन जिसमें कर्मचारियों के नाम, योग्यता, पदनाम, नियुक्ति तिथि, विज्ञापन संख्या, सेवावधि जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख हो, को तैयार करवाते हुए संचिका विभाग के परामर्श/विधिक्षा हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संचिका में विद्यालय स्तर से प्राप्त किये गये विधिक परामर्श का भी उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।

**18) कार्यसूची की मद संख्या– 17** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को बताया गया कि श्री सीताराम ठाकुर की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. द्वारा लैब–पियन के पद पर की गई थी। कुछेक पारिवारिक कारणों से श्री ठाकुर बिना वेतन अवकाश पर थें। पुनः कई बार श्री ठाकुर ने योगदान देने का प्रयास किया था, परन्तु विस्तृत परिचर्चा एवं समीक्षा नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि श्री सीताराम ठाकुर यद्यपि लैब–पियन के पद पर कार्यरत थे, परन्तु उन्हे अमीन की अर्हता एवं अमीन के कार्यों की भी विस्तृत जानकारी है। अतएव ऐसे कर्मचारियों के रहने से विद्यालय को साकारात्मक सहयोग मिलेगा। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया की वर्त्तमान में विद्यालय के भूमि संबंधी कई विवाद चल रहे है; अतएव विद्यालय हित में श्री सीताराम ठाकुर को समिति के सेवा शर्तों के अनुरूप संविदा पर कार्य पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में तत्संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

**19) कार्यसूची की मद संख्या– 18** : श्री अंशुमान चटर्जी के सह–शिक्षक पद से सेवानिवृत के उपरांत संविदा पर निर्धारित मानदेय पर पुनर्नियोजित किया गया था। संविदा के आधार पर भी उनकी सेवा 02 वर्ष से अधिक हो चुकी है; अतएव वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव हुआ की श्री चटर्जी की सेवा मार्च, 2026 तक ही ली जाय। मार्च, 2026 के बाद श्री चटर्जी की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

संविदा पर कार्यरत अभियंता की सेवा तथा वर्त्तमान अमीन श्री कामेश दुबे की सेवा अत्यंत आवश्यकता के तहत एक निर्धारित समयावधि तक के लिए लेते हुए सेवा निरस्तीकरण के लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया। प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स.

Kamini Kumar

को निर्देश दिया गया की विद्यालय की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुरूप ही इनकी सेवा ली जाय, तद्नुरूप इसके सेवा निरस्तीकरण के संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

**अन्यान्य** –:

**(1)** सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि विद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन के प्रसंग में समिति के सभी संस्थापक सदस्यों, विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों, पूर्व शिक्षकों से एक सूचना (सूचना संख्या–75/ने.वि.स./2025, दिनांक–04.11.2025) प्रकाशित कर आवश्यक सुझाव/मंतव्य माँगे गये थें, जिसके आलोक मे कई पूर्ववती छात्रों, पूर्व शिक्षकों, शिक्षाविदों का सुझाव समिति कार्यालय को प्राप्त हुए थें। प्राप्त सुझाव पर एक विस्तृत परिचर्चा हेतु दिनांक–23.11..2025 को एक विचार–गोष्ठी राँची मे आयोजित की गई थी। जिसमें विद्यालय के कई सेवानिवृत्त वरीय शिक्षक, पूर्ववर्ती छात्र एवं शिक्षाविद सम्मिलित हुये थे। मुख्य रूप से विद्यालय के प्रथम बैच के छात्र डॉ० (प्रो०) के. के. नाग, दूसरे बैच के छात्र श्री नरेन्द्र भगत (भा.प्र.से., से. नि.) एवं वरीय शिक्षक के रूप मे श्री कालीचरण देवघरिया, श्री बी.के कर्ण, डॉ० श्रीमती शोभा पांडेय इत्यादि सम्मिलित हुए एवं अपने–अपने अमूल्य विचारों को रखा। विचार गोष्ठी की कार्यवाही को अंगीकृत किया गया। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को बैठक की कार्यवाही हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

**(2)** अनुशासन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि आश्रमाध्यक्षों के पूर्व स्थानांतरण नियमावली में यत–किंचित परिर्वतन करते हुए कम से कम तीन वर्षों में एक बार अपने स्तर से मूल्यांकन करते हुए आश्रमाध्यक्षों को स्थानांतरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आश्रमाध्यक्ष एवं पाकशाला प्रभारी के नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने के लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव,ने.वि.स. को अधिकृत किया गया।

Santosh 28-11-2025

(सभापति)
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।

Kamini Kumar

# नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति, की दिनांक–27.11.2025 (गुरूवार) को आहूत समिति कार्यालय रांची में 74वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :

| क्र० | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सभापति | Santosh 27-11-2025 |
| 2. | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप–निदेशक माध्यमिक शिक्षा), झारखण्ड। | सदस्य | [illegible] 27.11.25 |
| 3. | श्री विजय नारायण, अवर सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची। | सदस्य | [illegible] 27/11/2025 |
| 4. | डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), झारखण्ड, राँची। | सदस्य | Kamini Kumar 27.11.2025 |
| 5. | श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य सचिव | [illegible] 27/11/25 |
| 6. | डॉ. आशीष आलोक, सदस्य सामान्य निकाय, ने.वि.स.। | (विशेष आमंत्रित) | Ashish Alok 27.11.2025 |
| 7. | श्री एच. के. पी सिन्हा, भूतपूर्व शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट। | (विशेष आमंत्रित) | H.K.P. [illegible] 27/11/25 |

ज्ञापांक– 97 / ने.वि.स. / 2025 रांची, दिनांक–28.11.2025

**प्रतिलिपिः–** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार / वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार / प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति / श्री एच.के.पी. सिन्हा, भूतपूर्व शिक्षक, ने.आ.वि. / डॉ. आशीष आलोक, सामान्य निकाय सदस्य, ने.वि.स. / प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 28-11-2025
(सभापति)
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।